न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: 07/2020 दायर दिनॉक 21.09.2020

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जैसाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी पीडवा वगैराह तहसील डीडवाना, जिला-नागौर राजस्थान, वगैरा।

प्रार्थना पत्र बाबत्
चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम- 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

-:: निर्णय ::-

दिनॉक 24.09.2020

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के संदर्भ में आपने अपने पत्र क्रमांक रास्ता/रास्ता अभियान/2020/राजस्व/1413 दिनॉक 21.09.2020 के द्वारा ग्राम-पीडवा पटवार मण्डल-पीडवा के संलग्न सूची के अनुसार (पीडवा की दिखणादी ढाणी से कल्याणपुरा जाने वाले रास्ते से होकर ग्राम मण्डूकरा की सरहद तक खेत खसरा सं0 589, 972/591, 591, 966/594, 599, 816/599, 819/599, 817/599, 818/599, 600, 610, 607, 614, 616, 617, चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनॉक 10.08.2016 के अनुसार ऐसे चालु रास्तो का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एव 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार डीडवाना के प्रार्थना पत्र पर किया जायेगा।

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज--6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.09.2020 के अनुसार खसरा सं0 589, 972/591, 591, 966/594, 599, 816/599, 819/599, 817/599, 818/599, 600, 610, 607, 614, 616, 617, के खातेदार सहमत है एवं रास्ते को कटाणी घोषित करवाना चाहते है। साथ ही उक्त खसरों के खातेदार के हस्ताक्षर भी रिपोर्ट में अंकित पाये गये है। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1413 दिनांक 21.09.2020 के आधार पर जिसमें सहमत खातेदारों/काश्तकारों (जिन्होनें रास्ते अंकन हेतु सहमति जताते हुए अपने हस्ताक्षर किये है) को आधार मानते हुए सहमत खातेदारों/काश्तकारों के खेत से निकलने वाले कदीमी रास्ते को धारा 131, 132 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत कटाणी घोषित किया जाता है। संलग्न सूची व ट्रेस नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम हों।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 24.09.2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:10:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner